

प्रारूप-11

प्रतिवेदन

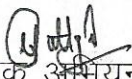
परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैईला तडीगांव तक मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं० 7235/111(2) /11-139 (प्रा०आ०)/2011 दिनांक 24/12/2011 द्वारा 4.00 किमी० हेतु रु० 50.40 लाख स्वीकृत हुआ है। जिसमें 9.00 मी० चौड़ाई के अनुसार राज्य भूमि 1.935 हे०, नाप भूमि 1.665 हे० प्रभावित होती है। उक्त मार्ग के निर्माण से मैईला तडीगांव की कुल 290 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त मो० मार्ग में दो समरेखन पर विचार किया गया। वैकल्पिक समरेखन उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखन में प्रभावित होने वाली 1.935 हे० राज्य वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखन है।

वन भूमि में मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य :-

1. राजस् के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य भूमि क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कम प्रतिशत ही राज्य भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्यपूर्ण है।
2. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे छोटे भागों में भू स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण लम्बाई में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नहीं है।
3. इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहूलियत होगी।
3. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पों में विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है दो संरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू वैज्ञानिक की रिपोर्ट, मोटर मार्ग की लम्बाई कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षों के कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही संरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।

अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़।


अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़।